न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S 51/2021

12.01.2022 वादी की ओर से हाजरी दी गई।

वाद पुकार पर वादी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए, तथा वादी की ओर से दिनांक–12.01.2022 का आदेश–22 नियम–3 के प्रतिस्थापन आवेदन पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इनका कथन है कि वादी संख्या–3 जब्बार साह की मृत्यु दिनांक–23.12.2021 लोक डाउन के दौरान हो गई है। अतः इनके वारीशान पत्नी सबीना खातुन एवं चार पुत्र एवं दो पुत्री क्रमशः मो0 सौरब, मो0 हसीब आलम, मो0 मुस्ताक आलम, मो0 मुनवर साह, एवं बीबी नसीमा बेगम, बीबी नसरीन खातुन को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। अतः वादी की ओर से दिनांक–12.01.2022 को दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत वाद में वादी संख्या–3 जब्बार साह की मृत्यु दिनांक–23.12.2021 को हो गई है। वही प्रतिवादी इस वाद में अभी उपस्थित नही हुए है। अतः मृतक के वारीशानों को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी के दिनांक–12.01.2022 के आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी विहित समय के अन्दर मृतक वादी के वारीशानों के नाम को वाद–पत्र में अंकित करें।

वाद दिनांक– वास्ते आपेक्ष।

अवर न्यायाधीश

बनमनखी।